

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
---------------	---------------------------------

8-616

पञ्जावली आज लोक अदालत कैम्प (गंगापुर) में पेश हुई। वादी जयलाल तथा प्रतिवादी मनोहर, लोकेन्द्र उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि पक्षकारों में राजीनामा हो गया है, अब हमारा कोई विवाद शेष नहीं है इसलिए वादी अपना दावा वापिस लेना चाहता है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद विद्वान में स्वारिज किया जाता है। पञ्जावली फैसलेशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक मौल दाखिल पत्र हो। पंचा डिक्री जारी किया जावे।

जयलाल
मनोहर
लोकेन्द्र

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(रवि कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
सर्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय

पीठासीन

जयलाल

1. मनोहर

2. लोकेन्द्र

मुकदमा

पञ्जावली

दिनांक

पृष्ठ

को

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) तलावडा

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

जयलाल पुत्र रंगा, माली निवासी तलावडा तह0 गंगपुर सिटी

—वादी

बनाम

1. मनोहर पुत्र जयलाल माली निवासी तलावडा तह0 गंगपुर सिटी

2. लोकेश पुत्र मनोहर माली निवासी तलावडा तह0 गंगपुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 58/2014

वादी की ओर से वादी जयलाल की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी मनोहर वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 8.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निष्पत्ती के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने जाने के कारण वादी ने अपना दावा वापिस लेने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

इह आज तारीख 8.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
उप निगापुर कलेक्टर
गंगपुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. _____ रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

केम्प तलावडा
प्रतिवादी
सकारों ने
किया है कि
हमारा कोर्ड
अपना दावा
नामा के
रकारिज
र होकर
म दाखिल
जावे।
मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगपुर सिटी
एवं
जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी